न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टीटपुरी बनाम रज्जो S/o रामधन जाटव सिटाहेडा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 59/2018

निर्णय दिनाँक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप से इस प्रकार है कि ग्राम सिटाहेडा की आ॰ख॰नं॰ 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैर मु॰ मरघट में से 0.01 रकबे पर श्री रज्जो S/o रामधन ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूरा / ईंधन कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनांक 14-2-18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ टीटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रज्जो S/o रामधन जाति सिटाहेडा निवासी सिटाहेडा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उप॰ नहीं उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ॰ख॰नं॰ 1429 रकबा 0.20 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमु॰ मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरमुमकिन के अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise का 50 गुणा 14/- चौदह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टीटपुरी भू॰अ॰निरी॰ टीटपुरी .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)